विश्वविद्यालय डेयरी प्रबंधन इकाई
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जयपुर (राजस्थान) 303329

Email: acshivran.agron@sknau.ac.in
Mob:919414517546

आज़ादी का अमृत महोत्सव

No. SKNCOA/UDMU/2022/445 Dated: 27.06.2022

M/s. Shalini Enterprises,
Shop No. 24, Saini Colony,
Karatarpura, Jaipur 302006

कार्य आदेश

विषयः डेयरी फार्म पर बकरी पालन का समस्त कार्य करने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डेयरी फार्म पर बकरी पालन का समस्त कार्य हेतु निविदा कमांक F.SKNCOA/2022/444 दिनांक 01.06.2022 के अनुसार बकरी पालन का समस्त कार्य करने के लिए आपकी दरें रु. 41500/–प्रति माह (vide letter No.F.SKNCOA/2022/613 दिनांक 21.06.2022) अनुमोदित की गई है। इस निविदा के तहत आपकी फर्म को निविदा की समस्त शर्तों के साथ डेयरी फार्म पर बकरी पालन का समस्त कार्य 01.07.2022 से प्रारम्भ करने का आदेश दिया जाता है।

नियम व शर्ते :

1. बकरियों के पालन–पोषण संबंधित विभिन्न कार्यों के दौरान किसी भी दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
2. बकरियों की निविदा की अनुमोदित दर 250 बकरियों के लिए होगी जो महीने की पहली तारीख को कुल संख्या में कमी व अधिक होने पर प्रति संख्या के हिसाब से अनुपातिक रूप से उस महीने के लिए दर निश्चित की जावेगी।
3. बकरियों के पालन–पोषण संबंधित विभिन्न कार्यों के वैज्ञानिक प्रबन्धन में असन्तुष्ट होने अथवा किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता होने पर 10 दिन का नोटिस देकर निविदादाता का कार्य समाप्त किया जा सकता है।
4. इस निविदा के कार्य की अवधि को किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर अथवा संस्था द्वारा कार्य प्रबन्धन को असंतोषजनक पाये जाने पर अल्प अवधि नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा।
5. कार्य की आवश्यकता में विशेष परिवर्तन होने अथवा बकरियों की संख्या में अधिक परिवर्तन होने पर निविदा की अवधि बीच में भी समाप्त की जा सकती है।
6. बकरियों के पालन–पोषण संबंधित विभिन्न कार्यों के दौरान कार्य करने वाले श्रमिकों/व्यक्तियों को सरकार के श्रमिक नियमों के अनुसार भुगतान करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7. बकरियों के पालन–पोषण से संबंधित सभी कार्य जैसे प्रत्येक दिन हर श्रेणी के बकरे/बकरियों को हरा व सूखा चारा व दाना खिलाना व पानी पिलाना, छोटे बच्चों को दूध पिलाना, सुबह शाम मौसम के अनुसार सही समय पर खोलकर दो–दो घण्टे के लिए निश्चित स्थान पर चराना तथा पेड़ों की छंगाई करके बाड़े के जानवरों को भी खिलाना, बाडों व ठाणों के अंदर बाहर साफ सफाई करना, गोबर को इकठ्ठा कर गडडों में डालना, सुबह शाम दूध निकालना, चारे व दाने को व्यवस्थित रखना, हर समय सुरक्षा सुनिश्चत करना, आवश्यकतानुसार बकरे– बकरियों में टीकाकरण, उपचार, ब्याँत, निस्तारण आदि कार्यों का प्रबंधन सुनिश्चित करवाना।
8. यदि अनुबंधकर्त्ता दूध या पशु की चोरी करते पाया गया ऐसी स्थिति में कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अनुबंधकर्त्ता को मानना होगा।
9. प्रतिदिन प्रत्येक पशु की सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुबंधकर्त्ता की होगी यदि किसी पशुओं किसी प्रकार की क्षति होती है तब कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अनुबंधकर्त्ता को मानना होगा।
10. फार्म पर बकरियों की संख्या घट या बढ़ सकती है जिसके अनुसार भुगतान होगा।
11. मौसम के अनुसार बकरियों को आरामदायक स्थान पर रखना।
12. फार्म पर यदि किसी पशु की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसका पोस्टमार्टम करवाकर यथास्थान पर गडडे में दबाना होगा।
13. निविदादाता को फार्म पर होने वाले बकरियों के पालन–पोषण संबंधित विभिन्न कार्यों को मैनेजर डेयरी के निदेशानुसार करने होंगे।
14. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की पालना करने के लिए निविदादाता बाध्य होगा।
15. निविदा में दी गई अन्य शर्ते इस कार्य के लिए लागु रहेगी।

विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
4. संयोजक/सदस्य, निविदा कमेटी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
6. विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय डेयरी प्रबंधन इकाई, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
7. विभागाध्यक्ष, पशुधन उत्पादन एवं प्रबन्धन विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
8. मैनेजर, डेयरी फार्म, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
9. M/s. Shalini Enterprises, Shop No. 24, Saini Colony, Karatarpura, Jaipur 302006

विभागाध्यक्ष

विश्वविद्यालय डेयरी प्रबंधन इकाई
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जयपुर (राजस्थान) 303329
Email: acshivran.agron@sknau.ac.in
Mob:919414517546

आज़ादी का अमृत महोत्सव

No. SKNCOA/UDMU/2022/446 Dated: 27.06.2022

M/s. Rahul Electricals,
V&P-Murlipura, Via- Jobner,
Jaipur 303328

कार्य आदेश

विषय: डेयरी फार्म पर दूध निकालने के लिए सभी आवश्यक कार्य जैसे चारा/दाना डालना, साफ–सफाई आदि करने के पश्चात् प्रतिदिन सुबह शाम दूध निकालने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डेयरी फार्म पर गायों का दूध निकालने हेतु निविदा क्रमांक F.SKNCOA/2022/444 दिनांक 01.06.2022 के अनुसार गायों का दूध निकालने के लिए आपकी दरें रु. 4.50/–प्रति लीटर (vide letter No.F.SKNCOA/2022/613 दिनांक 21.06.2022) अनुमोदित की गई है। इस निविदा के तहत आपकी फर्म को निविदा की समस्त शर्तों के साथ डेयरी फार्म पर गायों का दूध निकालने का कार्य 01.07.2022 से प्रारम्भ करने का आदेश दिया जाता है।

नियम व शर्तें :

1. गायों के दूध निकालने से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के दौरान किसी भी दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
2. दूध निकालने के सभी आवश्यक कार्य जैसे दूध वाली गायों (लगभग 18 गिर तथा लगभग 10 संकर गाय) को चारा/दाना व सफाई का कार्य करने के पश्चात् ही प्रतिदिन दूध निकालना होगा।
3. गायों के दूध निकालने से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के वैज्ञानिक प्रबन्धन में असन्तुष्ट होने अथवा किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता होने पर 10 दिन का नोटिस देकर निविदादाता का कार्य समाप्त किया जा सकता है।
4. इस निविदा के कार्य की अवधि को किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर अथवा संस्था द्वारा कार्य प्रबन्धन को असंतोषजनक पाये जाने पर अल्प अवधि नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा।
5. कार्य की आवश्यकता में विशेष परिवर्तन होने अथवा गायों की संख्या में अधिक परिवर्तन होने पर निविदा की अवधि बीच में भी समाप्त की जा सकती है।
6. दूध निकालने के समय यदि किसी प्रकार की हानि पशु या दूध या बर्तन या दूहने वाले को होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
7. गायों के दूध निकालने से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के दौरान कार्य करने वाले श्रमिकों/व्यक्तियों को सरकार के श्रमिक नियमों के अनुसार भुगतान करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
8. यदि अनुबंधकर्त्ता दूध या पशु की चोरी करते पाया गया ऐसी स्थिति में कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अनुबंधकर्त्ता को मानना होगा।
9. निविदादाता को फार्म पर दूध निकालने के लिए सभी आवश्यक समस्त कार्यों को मैनेजर डेयरी के निदेशानुसार करने होंगे।
10. सुबह शाम दोनों समय डेयरी फार्म पर उपलब्ध मशीन अथवा हाथों से गायों का दूध निकालकर डेयरी प्रबंधक को सौंपना होगा।
11. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की पालना करने के लिए निविदादाता बाध्य होगा।
12. निविदा में दी गई अन्य शर्तें इस कार्य के लिए लागु रहेगी।

विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
4. संयोजक/सदस्य, निविदा कमेटी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
6. विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय डेयरी प्रबंधन इकाई, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
7. विभागाध्यक्ष, पशुधन उत्पादन एवं प्रबन्धन विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
8. मैनेजर, डेयरी फार्म, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
9. M/s. Rahul Electricals, V&P-Murlipura, Via- Jobner, Jaipur 303328

विभागाध्यक्ष